राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 02(01)न्याय/2026 जयपुर, दिनांक **07.07.2026**

::अधिसूचना::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 व अन्य संबंधित विधियो के अन्तर्गत साईबर अपराध के मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु जयपुर एवं जोधपुर मुख्यालयों पर निम्नलिखित विशेष साईबर न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र. सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार राजस्व जिला
1.	विशेष साईबर न्यायालय, जयपुर	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर	जयपुर
2	विशेष साईबर न्यायालय, जोधपुर	जोधपुर महानगर	जोधपुर	जोधपुर

नोट- उपरोक्त न्यायालयों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
07/07/2026

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, जोधपुर/जयपुर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

7/7/26

(आशीष कुमार कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव